उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 46 15/VII-2/378–उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 1731/उ0नि0–नि0औ0आ0/2007–08 दिनांक 24, अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, सदगरू प्लाजा बिल्डिंग, राजपुर रोड, जाखन, देहरादून को ग्राम शिकारपुर, तहसील रूड़की व ग्राम खेमपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में क्रय/क्रय अनुबन्धित कुल 49.20 एकड़ भूमि जिसके खसरा नबर निम्न तालिका में अंकित है, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
शिकारपुर, व खेमपुर तहसील रूड़की	549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580, 583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552, 561, 562, 584, 591, 537, 538, 539, 540, 545, 546, 131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172	49.20

1. तालिका में उल्लिखित भूमि के खसरा संख्या–549, 550, 551, 555, 556, 557, 563, 578, 579, 580, 583, 577, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 552, 561, 584, 591,562 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of existing Industrial Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो (नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। आस्थान के खसरा संख्या– 537, 538, 539, 540, 545, 546, 131, 134म, 137, 135, 154, 169, 170, 171, 172 भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित नही है, जिन पर केवल थरट उद्योगों की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2– औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः GIDCR-2005 के उपबन्धो के अनुरूप (1) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा।

3– इस औद्योगिक आस्थान की 20.66 एकड़ भूमि प्रवर्तक कम्पनी तथा उसकी सिस्टर कन्सर्न इकाईयों के नाम दर्ज तथा अवशेष भूमि क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि

क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

5– प्रस्तावित क्रय अनुबन्धित भूमि आवेदक के पक्ष में नियमानुसार क्रय करने के उपरान्त ही उक्त भूमि निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित मानी जायेगी अर्थात यदि आवेदक द्वारा क्रय अनुबंधित भूमि के लिए क्रय की अनुमति हेतु आवेदन नहीं दिया गया है, तथा अनुमति नियमतः वांछित है, तो प्रवर्तक शासन से भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त करेंगे।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

7– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

8– प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथा: बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

9– औद्योगिक आस्थान में स्थापित किये जाने वाले सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत नियमित रोजगार प्रदेश के स्थायी लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed) में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

10– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

12– मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के अन्तर्गत आस्थान में स्थापित होने वाली इकाईयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य सम्पूर्ण सुविधाओं के विकास पर व्यय की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा व्यय की जायेगी। मै0जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 निजी औद्योगिक आस्थान है

तथा प्रस्तावित आस्थान में राज्य सरकार के स्तर से कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

13— निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के कियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 4615 (1)/VII-2/378–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महादेय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)।
14. मै0 जे0एम0जे0इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, सदगरू प्लाजा बिल्डिंग, राजपुर रोड, आसन, देहरादून
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।